UPUN010071072025

न्यायालय Sp. Judge (E.C.Act) Court No. 4, Unnao.

पीठासीन अधिकारी– श्री रामराज–II, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06491

Spl Trial Ec act–1613/2025

सरकार ————————————————————————————अभियोजक

बनाम

श्रीमती आमना अंसारी उर्फ बबली पत्नी मो0 असलम उर्फ पप्पू,
निवासी अहमद नगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव।

..... अभियुक्ता

मु0अ0सं0–1152/2022,
धारा–135 भारतीय विद्युत अधिनियम
थाना–एन्टी पावर थेफ्ट, जिला–उन्नाव।

निर्णय

1. अभियुक्ता श्रीमती आमना अंसारी उर्फ बबली के विरूद्ध प्रस्तुत विशेष सत्र परीक्षण सं0–1613/2025 अ0सं0–1152/2022, अन्तर्गत धारा–135 भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना–एन्टी पावर थेफ्ट, जनपद–उन्नाव में विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर परीक्षण योजित किया गया।

2. अभियोजन पक्ष का कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 19.07.2022 को समय 21.20 बजे बहद स्थान अहमद नगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट जिला उन्नाव में मो0 उजैर प्रभारी प्रवर्तन दल उन्नाव बनाम श्रीमती आमना अंसारी उर्फ बबली पत्नी मो0 असलम उर्फ पप्पू निवासी अहमद नगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव पंजीकृत होकर विवेचना तत्तकालीन उ0नि0 मनोजन कुमार को सुपुर्द हुई इनके स्थानान्तरण पर जाने के कारण लम्बित विवेचना उ0नि0 गिरिजा कुमार तिवारी को सुपुर्द हुई तत्पश्चात इनके स्थानान्तरण फलस्वरूप प्र0नि0 के आदेश के क्रम में वर्ष 2022 की विवेचनाओं के विवेचना की गयी। विवेचना से प्रकाश में आया कि आरोपी श्रीमती आमना अंसारी उर्फ बबली द्वारा अवैध रूप से विद्युत का चोरी से उपभोग किया जा रहा था, जिसका राजस्व निर्धारण रू0 2,36,447/– शमन शुल्क 20,000/– बना है।

3. वादी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाना–एन्टी पावर थेफ्ट, जिला–उन्नाव में अभियुक्ता श्रीमती आमना अंसारी उर्फ बबली के विरूद्ध दिनांक 19.07.2022 को समय 20.48 बजे मु0अ0सं0–1152/2022, अन्तर्गत धारा 135 भारतीय विद्युत

अधिनियम में पंजीकृत किया गया।

4. प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा वादी मुकदमा व अन्य गवाहान के बयान अंकित किये गये तथा सम्पूर्ण विवेचनोपरान्त अभियुक्ता श्रीमती आमना अंसारी उर्फ बबली के विरूद्ध प्रथम दृष्टया सामग्री पाते हुए आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–135 भारतीय विद्युत अधिनियम आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर विशेष न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

5. अभियुक्ता श्रीमती आमना अंसारी उर्फ बबली को आहूत किया गया। उसे नकले दी गयी। अभियुक्ता द्वारा जमानत करायी गयी।

6. अभियुक्ता श्रीमती आमना अंसारी उर्फ बबली के विरूद्ध धारा–135 भारतीय विद्युत अधिनियम में आरोप दिनांक 11.05.2026 को न्यायालय द्वारा विरचित किया गया, आरोप अभियुक्ता को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्ता ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

7. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्ता के विरूद्ध विरचित आरोप को साबित किये जाने हेतु मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्लू0–1 संजीव श्रीवास्तव, कार्यालय सहायक वि0वि0खण्ड द्वितीय गोकुल बाबा को परीक्षित कराया गया है।

8. अभियोजन द्वारा **शमन शुल्क को प्रदर्श क–1, राजस्व निर्धारण प्रदर्श क–2 व अदेयता प्रमाण पत्र प्रदर्श क–3** के रूप में साबित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य अवसर समाप्त किया गया।

9. अभियुक्ता श्रीमती आमना अंसारी उर्फ बबली का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया जिसमें अभियुक्ता ने मुकदमा गलत चलना बताया व सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया है।

10. मैने विद्वान विशेष शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्ता के विद्वान् अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया।

11. अभियुक्ता श्रीमती आमना अंसारी उर्फ बबली के विरूद्ध यह आरोप है कि <u>दिनांक 19.07.2022 को समय 21.20 बजे बहद स्थान अहमद नगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट जिला उन्नाव में मो0 उजैर प्रभारी प्रवर्तन दल उन्नाव बनाम श्रीमती आमना अंसारी उर्फ बबली पत्नी मो0 असलम उर्फ पप्पू निवासी अहमद नगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव पंजीकृत होकर विवेचना तत्तकालीन उ0नि0 मनोजन कुमार को सुपुर्द हुई इनके स्थानान्तरण पर जाने के कारण लम्बित विवेचना उ0नि0 गिरिजा कुमार तिवारी को सुपुर्द हुई तत्पश्चात इनके स्थानान्तरण फलस्वरूप प्र0नि0 के आदेश के कम में वर्ष 2022 की विवेचनाओं के विवेचना की गयी। विवेचना से प्रकाश में आया कि आरोपी श्रीमती आमना अंसारी उर्फ बबली द्वारा अवैध रूप से विद्युत का चोरी से उपभोग किया</u>

<u>जा रहा था, जिसका राजस्व निर्धारण रू0 2,36,447/– शमन शुल्क 20,000/– बना है।</u>

12. प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्ता श्रीमती आमना अंसारी उर्फ बबली के विरूद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?

13. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्ता श्रीमती आमना अंसारी उर्फ बबली के विरूद्ध आरोपित आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने हेतु पी0डब्लू0–1 संजीव श्रीवास्तव, कार्यालय सहायक विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय गोकुल बाबा उन्नाव को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपने साक्ष्य में अभियुक्ता उपरोक्त द्वारा **शमन शुल्क मु0–20,000/–रू0, राजस्व निर्धारण मु0–30,999/–रू0** जमा कर दिया गया है। उक्त साक्षी ने शमन शुल्क, राजस्व निर्धारण की धनराशि की प्रमाणित प्रतिलिपि को क्रमशः प्रदर्श क–1, प्रदर्श क–2 तथा अदेयता प्रमाण पत्र प्रदर्श क–3 के रूप में विधितः साबित किया है।

14. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्ता श्रीमती आमना अंसारी उर्फ बबली द्वारा विद्युत बिल जमा कर दिया गया है और कोई अदायगी शेष नही है। अतः अभियुक्ता उपरोक्त को धारा–152 भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत लाभ देते हुए दोषमुक्त की याचना की गयी है।

15. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 संजीव श्रीवास्तव, कार्यालय सहायक विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय गोकुल बाबा उन्नाव द्वारा यह स्वीकारोक्ति की गयी है कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा **शमन शुल्क मु0–2,000/–रू0, राजस्व निर्धारण मु0–24,293/–रू0** को जमा कर दिया गया है, जिनकी प्रतियां पत्रावली में दाखिल है। उक्त साक्षी ने शमन शुल्क, राजस्व निर्धारण की प्रमाणित प्रतिलिपि को विधितः साबित किया है तथा मुकदमा समाप्त करने में कोई आपत्ति न करने का कथन किया है।

16. ***<u>धारा–152 उप धारा–3 भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत यह उपबन्ध है कि उप धारा–1 के अन्तर्गत शमनीय अपराधों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा शमन धनराशि प्राप्ति का तात्पर्य दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत दोषमुक्ति के रूप में होगा।</u>***

17. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर यह प्रकट है कि **उपभोक्ता/अभियुक्ता श्रीमती आमना अंसारी उर्फ बबली** द्वारा **शमन शुल्क मु0–20,000/–रू0, राजस्व निर्धारण मु0–30,999/–रू0** जमा कर दिया गया है, जिनकी कार्बन प्रतियां पत्रावली में दाखिल है और अभियुक्ता पर विद्युत विभाग की कोई देय धनराशि शेष नही है। ***<u>इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य से यह प्रकट है कि अभियुक्ता उपरोक्त द्वारा कथित घटना/विद्युत चोरी करते पकड़े जाने पर दौरान मुकदमा</u>***

उक्त अपराध के सम्बन्ध में विद्युत विभाग द्वारा निर्धारित शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण की धनराशि की पूर्ण अदायगी विद्युत विभाग में की जा चुकी है और विद्युत विभाग का कोई देय अभियुक्ता पर शेष नही है और उसका अपराध उसके द्वारा उक्त देय अदा करने पर विभाग द्वारा शमन किया जा चुका है तथा यह उसका प्रथम अपराध है। इन परिस्थितियों में धारा–152(1) भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्ता के द्वारा विद्युत चोरी के सम्बन्ध में राज्य सरकार की तरफ से निमित्त प्राधिकारी द्वारा उक्त अपराध के शमन, द्वारा धनराशि को स्वीकार कर लिया गया है, जैसा कि इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट है, ऐसे में अभियुक्ता के विरूद्ध अब कोई कार्यवाही न्यायालय में विद्युत अधिनियम की धारा–152(2) के अन्तर्गत जारी नहीं रखी जा सकती तथा धारा–152(3) भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत यह दोषमुक्ति मानी जायेगी।

18. उपरोक्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के विश्लेषण से न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि उक्त धाराओं का लाभ पाते हुए **अभियुक्ता श्रीमती आमना अंसारी उर्फ बबली धारा–135 भारतीय विद्युत अधिनियम** के अन्तर्गत विरचित आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

1. **अभियुक्ता श्रीमती आमना अंसारी उर्फ बबली** को **मु0अ0सं0–1152/2022, थाना–एन्टी पावर थेफ्ट, जनपद–उन्नाव अन्तर्गत धारा–135 भारतीय विद्युत अधिनियम** के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्ता जमानत पर है। उसके जमानतनामें व बंधपत्र निरस्त किये जाते है एवं जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

2. अभियुक्ता उपरोक्त को धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में 20,000/–रूपये की एक प्रतिभू व समान धनराशि का निजी बन्धपत्र अपील की दशा में अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु एक सप्ताह के अन्दर दाखिल करने हेतु आदेशित किया जाता है।

दिनांक–02.07.2026

(रामराज–II)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)
कोर्ट सं0–4, उन्नाव।

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके आज सुनाया गया।

दिनांक–02.07.2026

(रामराज–II)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)
कोर्ट सं0–4, उन्नाव।